Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **अजमेर में पुलिस थाना क्रिश्चियन गंज का कानिस्टेबल 20 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *20 अगस्त, शनिवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर स्पेशल यूनिट, अजमेर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये सुशील कुमार कानिस्टेबल, पुलिस थाना क्रिश्चियन गंज, जिला अजमेर को परिवादी से **20 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट, अजमेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी माताजी के विरूद्ध जारी 138 एन.आई.एक्ट के वारंट में गिरफ्तार नहीं करने की एवज में सुशील कुमार कानिस्टेबल, पुलिस थाना क्रिश्चियन गंज, जिला अजमेर द्वारा **20 हजार रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, अजमेर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री समीर कुमार सिंह** के सुपरवीजन में एसीबी स्पेशल यूनिट, अजमेर इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री राकेश कुमार वर्मा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये सुशील कुमार पुत्र श्री मोहनराम जाट निवासी ग्राम जारोड़ा कलां, पुलिस थाना मेड़ता रोड़, जिला नागौर हाल कानिस्टेबल, पुलिस थाना क्रिश्चियन गंज, जिला अजमेर को परिवादी से **20 हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी कानिस्टेबल द्वारा पूर्व में भी परिवादी की माताजी से **15 हजार रुपये** रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।